<u>महत्वपूर्ण/प्राथमिकता</u>

<u>संख्या-7/2015/एन0जी0ओ0 9/84-2-2015-सीपी 16/2003</u>

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2015

विषय उपभोक्ता कल्याण कोष से स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की जांच कराकर आख्या एवं संस्तुति शासन को उपलब्ध कराया जाना ।

महोदय,

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह अधिक प्रासंगिक है कि उपभोक्ता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाय जिससे वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर उपभोक्ता न्यायालयों के माध्यम से समुचित न्याय प्राप्त कर सके। इसके दृष्टिगत उपभोक्ता जागरूकता को बढावा देने के उद्देश्य से शासन द्वारा राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन किया गया है। इस कोष से उपभोक्ता कल्याणकारी कार्यो में लगे हुए समन्वय अभिकरण/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता/अनुदान के रूप में अधिकतम रूपये 02 लाख की धनराशि (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में) दिये जाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में शासन के पत्र संख्या-सीपी 1004/29-8-2006-सीपी 16/2003, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 द्वारा गठित जनपद स्तरीय कमेटी की, शासनादेश दिनांक 17.09.2008 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में प्राप्त संस्तुति के आधार पर समन्वय अभिकरण/स्वैच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता दिये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है।

2 उक्त निर्धारित प्रक्रिया में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अतः शासन के पत्र संख्या-60/सीपी 668/84-2-2014-सीपी 16/2003, दिनांक 10 जुलाई, 2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि शासन द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में प्रस्ताव प्राप्त कर उनका परीक्षण करते हुए तय समयसीमा के अंदर शासन को उपलब्ध करायें। तदुपरांत शासन के पार्श्वांकित पत्रों के माध्यम से अनुस्मरण कराये जाने के बावजूद किसी भी जिलाधिकारी से समुचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, जो भी प्रस्ताव

1. 60/सीपी 668/84-2-2014-सीपी 16/2003, दिनांक 10.07.2014
2. सीपी 1025/84-2-2014-सीपी 9/2011, दिनांक 26.09.2014
3. 71/एनजीओ 50/84-2-2014-सीपी 34/2006, दिनांक 26.11.2014
4. 2/2015/एनजीओ 55/84-2-2014-सीपी 34/2006, दिनांक 08.01.2015
5. 3/2015/एनजीओ 01/84-2-2015-सीपी 16/2003, दिनांक 22.01.2015

....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राप्त हुए हैं, वे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं। इससे उपभोक्ता जागरूकता का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इससे स्वत: स्पष्ट है कि बार-बार अपेक्षा करने के बावजूद जिलाधिकारी कोई रूचि नहीं ले रहे हैं और न ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने के दायित्व का निर्वहन ही कर रहे हैं।

3. अत: वर्णित स्थिति में मुझे पुन: यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूचि लेकर उपभोक्ता जागरूकता को बढावा देने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार संस्तुति सहित शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जायें, जिससे उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति अत्यधिक जागरूक किया जा सके।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(2) निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
(3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, 7 वाला कदर रोड, लखनऊ ।
(4) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 (द्वारा निबंधक, राज्य आयोग)
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बी0एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।